# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY) DIRECTORATE OF EDUCATION GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No.F.15(172)/DE/Act./2011/ 7290 - 7304

Dated: 27/01/12

#### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Sections 35 and 38 of the Right of Children to Free & Compulsory Education Act, 2009 read with sub-rule 3 of Rule 10 of Delhi Right of Children to Free & Compulsory Education Rules, 2011, the Lt. Governor of Delhi is pleased to extend the limit of neighbourhood as under:-

"The limit of neighbourhood in respect of the Economically Weaker Section & the Disadvantaged Group shall not be less than that determined by a particular school, in which the admission is sought, for the students of the General Category."

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI

(SURESH GUPTA)
SPECIAL SECERETARY OF EDUCATION

No.F.15(172)/DE/Act./2011/ 7290 - 7304

Dated: 27 /01/12

Copy to:-

- Secretary, MHRD, Govt. of India
- 2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi
- 3. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi
- 4. Secretary to Minister of Education, GNCT of Delhi
- 5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi
- 6. Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi
- 7. Director (Education), GNCT of Delhi
- 8. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi
- 9. Director (Education), New Delhi Municipal Council
- 10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board
- 11. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCT of Delhi
- 12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. of Education, GNCT of Delhi
- 13. All Branch Incharges, Dte. of Education, GNCT of Delhi
- 14.OS (IT) with the request to place it on the website of Directorate of Education

15. Guard File

(SURESH GUPTA)
SPECIAL SECERETARY OF EDUCATION

## (दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054.

स0फ0.15(172)/डी०ई०/अधिनियम/2011/ 7290 - 7304

दिनांकः 27 /01/12

#### अधिसूचना

दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 10 के उप—नियम 3 के साथ पठित नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 35 एवं 38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल निक्टता की सीमा निम्नप्रकार विस्तारित करते हैं:

ऐ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं वंचित समूह के सम्बन्ध में निक्टता की सीमा उससे कम नहीं होगी जो किसी उस विशेष विद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का प्रवेश चाहिए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

320

( सुरेश गुप्ता ) विशेष सचिव (शिक्षा) दिनांकः २ ७ /०१//2

सं0फ0.15(172)/डी०ई०/अधिनियम/2011/7290-7304

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-
1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

2. उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव ।

मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव।

प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रधान सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम।

9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।

10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।

11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

12. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा/संयुक्त निदेशक शिक्षा/उप–निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

14. अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

15. गार्ड फाईल।

(सरेश गप्ता)

( सुरेश गुप्ता )<sub>त</sub> विशेष सचिव (शिक्षा)